*पर्यावरणीय व सामाजिक स्थायित्व : महत्त्वपूर्ण मुद्दे और चिंताएं**

के. सी. चक्रवर्ती

श्री राबर्ट टैकन, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम - वित्तीय पहल (यूएनईपीएफआई) के अध्यापक; सुश्री स्टिफैनी बायर, सलाहकार, निजी क्षेत्र विकास, जीआईज़ेड; श्री प्रलय मंडल, वरिष्ठ समूह अध्यक्ष - खुदरा व कारोबार बैंकिंग, यस बैंक; श्री मेंग्की काई, कार्यक्रम अधिकारी. एशिया पेसिफिक टास्क फोर्स, यूएनईपी एफआई; कार्यक्रम में आए हुए विभिन्न प्रतिनिधिगण, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य; देवियो और सज्जनो। यहाँ आना और इस प्रतिष्ठित सभा को स्थायित्व के विषय पर संबोधित करना आनंद का विषय है। अलग-अलग रुचियों व कार्यक्षेत्रों से जुड़े विभिन्न संगठनों को, स्थायित्व के मुद्दे पर एक साथ देखकर मुझे वाकई खुशी है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस विषय का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। इस विषय से जुड़े सभी पक्ष - सरकार, उद्योग, कारोबार, बैंक और उपभोक्ता - ये उत्तरोत्तर महसूस कर रहे हैं कि यदि भारत और भारतीय कारोबार को मध्यम से दीर्घावधि में उच्च विकास की गति बनाए रखनी है तो उन्हें स्थायित्व के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा और मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन इस महत्त्वपूर्ण पक्ष को रेखांकित करेगा। इसलिए मैं, यूएनईपी, जीआईज़ेड और यस बैंक को इस प्रशंसनीय प्रयास पर बधाई देना चाहता हूँ।

ए. भूमिका

2. मैं परिभाषा से ही अपनी बात शुरू करता हूँ। स्थायी विकास को कई तरह से परिभाषित किया गया है, पर सबसे अधिक उद्धृत परिभाषा *आवर कॉमन फ्यूचर* से है जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट (1987) भी कहा जाता है: ''स्थायी या टिकाऊ विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) वह विकास है जो वर्तमान की जरूरतों को इस प्रकार पूरा करता है जिससे अपनी जरूरतें पूरी करने की भावी पीढ़ियों की क्षमता पर कोई आँच न आए।''

3. स्थायित्व (निरंतरता) के विभिन्न पहलू हैं जिन्हें हमें समझना है यथा पर्यावरणीय और सामाजिक। *'पर्यावरण स्थायित्व'* स्थायी विकास के लिए पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी प्रणालियों को बनाए रखने की आवश्यकता से संबंधित है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि विकास की कोई प्रक्रिया जो वैश्विक वायुमंडल की संरचना को बदल देती है तथा जनसंख्या व आर्थिक विकास के चलते पहले से ही दबी जा रही पारिस्थितिकी व सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों पर बोझ डालती है, उससे स्थायित्व को खतरा है। इस प्रकार स्थायी विकास को चाहिए कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों का सक्षम व जिम्मेदार तरीके से उपयोग करते हुए विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करे ताकि यह सुनिश्चित हो कि ये संसाधन लंबे समय तक बने रहें। स्थायित्व का दूसरा पक्ष 'सामाजिक स्थायित्व' है जिसकी अवधारणा यह है कि विकास की प्रक्रिया सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा दे और असमानता कम करे। किसी भी प्रकार का सामाजिक अलगाव विसंगति पैदा करता है जिससे विघटन होता है और इसके चलते व्यवसाय को क्षति होती है, विकास को हानि पहुँचती है। सामाजिक स्थायित्व में अंतर-पीढ़ीगत समानता व आंतर-पीढ़ीगत समानता दोनों पर ध्यान दिया जाता है अर्थात् प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों की पहुँच में उतना ही या उससे अधिक रहें जितना वर्तमान पीढ़ी के तथा वर्तमान पीढ़ी में जो भी हैं सभी को सामाजिक संसाधन समान रूप से उपलब्ध हों। इन दोनों पक्षों पर संतुलित ध्यान स्थायी विकास की प्रमुख विशेषता है।

4. स्थायी विकास की आवश्यकता का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महत्त्व बढ़ता जा रहा है। सुदृढ़, स्थायी और संतुलित विकास जी20 का एक विशिष्ट प्रयास है जो पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन(सितंबर 2009) में शुरू किया गया। जून 2012 में आयोजित रियो +20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स) की 2000-2015 की

* यस बैंक - जीआइज़ेड - यूएनईपी सस्टेनेबिलिटी सिरीज़ इवेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड सोशल रिस्क मैनेजमेंट में 23 अप्रैल, 2013 को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ के सी चक्रवर्ती का भाषण। इस भाषण को तैयार करने में सुश्री संगीता मिश्रा और श्री अनूप के सुरेश के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।

अवधि की समाप्ति के बाद 2015 के बाद की अवधि में स्थायी विकास लक्ष्यों/सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) को अपनाने की स्वीकृति दी है। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के उद्देश्यों, प्रावधानों, और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कारगर ढंग से संसाधन जुटाने के लिए पिछले वर्ष जी20 के नेताओं ने भी मिलकर जलवायु वित्त अध्ययन समूह (क्लाइमेट फाइनैंस स्टडी ग्रुप) बनाया। अभी, विशेषतः विकासशील देशों के बीच समावेशी हरित निवेश पर सरकारी-निजी संवाद मंच (डीपीआईजीआई) को औपचारिक रूप से प्रारंभ करने पर कार्य चल रहा है।

5. राष्ट्रीय स्तर पर भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012-17 की अवधि में तीव्रतर, अधिक समावेशी और स्थायी विकास पर जोर दिया गया है और तदनुसार इसे 12वीं योजना दस्तावेज का थीम बनाया गया है। सरकार के आधिकारिक प्रकाशन 'आर्थिक सर्वेक्षण' में भी पिछले वर्ष से स्थायी (अनवरत) विकास और जलवायु परिवर्तन पर एक अध्याय जोड़ा गया है जो इस क्षेत्र में देश और बाहर के घटनाक्रमों पर केंद्रित है। अपने हाल के एक भाषण में प्रधानमंत्री ने आर्थिक विकास के पर्यावरण की दृष्टि से निर्वहनीय होने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस पृष्ठभूमि में, आगामी दो खंडों में मैं स्थायित्व के दो पक्षों - पर्यावरणीय व सामाजिक - से जुड़े मुद्दों व रणनीतियों पर प्रकाश डालूँगा। .

बी. पर्यावरणीय स्थायित्व

स्थायित्व और विकास - विरोध और संतुलन

6. पहले मैं आर्थिक विकास व पर्यावरण स्थायित्व के बीच विरोध के संदर्भ में स्थायित्व की आवश्यकता को उजागर करना चाहूँगा। आर्थिक उन्नति से हमारा जीवन स्तर बढ़ता है और अधिक आरामदायक बनता है। दूसरी तरफ यही उन्नति पर्यावरण के ख़राब होने का कारण बन सकती है। राष्ट्रीय आय में कोई भी वृद्धि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के बढ़ने से ही आएगी और इस प्रक्रिया में जमीन, जंगल, ईंधन आदि की ज्यादा खपत होगी जिनकी मात्रा सीमित है। इनमें से कुछ संसाधन नवीकरणीय हो सकते हैं, दूसरे कम होते जाते हैं और लगातार उपयोग से अंततः समाप्त हो जाते हैं। जो संसाधन नवीकरणीय नहीं हैं, उन्हें बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों के क्रम में विकास दरों से समझौता करना पड़ सकता है।

7. आर्थिक विकास और स्थायित्व का विरोध वस्तुतः अल्पावधि व दीर्घावधि प्राथमिकताओं, हमारी वर्तमान व भावी पीढ़ियां के हितों के बीच का संघर्ष है। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर उपयोग से आज की पीढ़ी का आर्थिक विकास तो बढ़ेगा, पर इससे इन संसाधनों का क्रमशः अंत व क्षय होगा जिससे हमारी भावी पीढ़ियों के लिए इनकी उपलब्धता कम होती चली जाएगी और उनके उत्पादन, आय और जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, पर्यावरण का क्षरण न केवल हम पर असर डालता है बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है।

8. अंततोगत्वा, बात आर्थिक वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन पर आकर रुकती है जो एक अवश्यंभावी चुनौती है। यह संतुलन कायम करके हम एक दीर्घ-कालिक स्व-पोषी प्रणाली बना सकते हैं। इस संदर्भ में सरकार द्वारा गठित एक समिति भारत के लिए 'हरितराष्ट्रीय खाते' का एक ढाँचा विकसित कर रही है जो आर्थिक सेहत को धन की ऐसी व्यापक परिभाषा पर मापने की आवश्यकता पर आधारित है जिसमें केवल जीडीपी ही नहीं बल्कि प्राकृतिक व मानव पूँजी[1] को भी शामिल किया गया हो।

9. विश्व भर में, स्थायी विकास की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। स्थायी विकास आर्थिक विकास की मांग और अपने प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने की जरूरत के बीच संतुलन का प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट 2013 में 21वीं शताब्दी में विश्व में विकास को आगे बढ़ाने में दक्षिण (विकासशील देशों का द्योतक) की सराहना

[1] प्रति व्यक्ति समावेशी धन सूचकांक के अनुसार 1990 और 2008 के बीच रूस व दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के ऋणात्मक विकास की तुलना में भारत की विकास दर 0.9 प्रतिशत की रही जिसका मतलब है कि उन देशों के उत्पादन आधार का पूर्णतः क्षरण हो गया है। तथापि, चीन (2.1) के मुकाबले कम विकास दर को देखते हुए भारत को अपनी मानव पूँजी को काफी उन्नत बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक पूँजी का क्षरण कम से कम हो।

के साथ ही यह भी कहा गया है कि विकास की गति को कायम रखने के लिए समानता बढ़ाने, जनसांख्यिकीय परिवर्तन को संभालने और पर्यावरणीय दबावों का सामना करने वाली नीतियों की जरुरत है।

वैश्विक सहयोग और प्रयास

10. पर्यावरणीय स्थायित्व का एक वैश्विक पहलू है। चूँकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया तेज होती है, तो यह स्वाभाविक रूप से ऐसा क्षेत्र है जहाँ समाधान में वैश्विक सहयोग की जरूरत है। कोई भी देश अपने उत्सर्जनों को कम करने के लिए तब तक पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित नहीं होगा जब तक वह किसी वैश्विक समझौते का हिस्सा न हो। और ऐसा कोई समझौता तभी संभव है जब बोझ का उचित वितरण हो। विकासशील देश हमेशा यह तर्क देते आए हैं कि चूँकि जीएचजी के संचित भंडार का अधिकांश हिस्सा औद्योगीकृत देशों से आया है और वे भुगतान में सर्वाधिक सक्षम भी हैं, तो उन्हें वैश्विक कमी और एडजस्टमेंट का बोझ अवश्य उठाना चाहिए।

11. जी20 देशों में कार्बन डाइऑक्साइड (संक्षेप में कार्बन) उत्सर्जन की तुलना करने से पता चलता है कि 2010 में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा तीन प्रधान कार्बन उत्सर्जक देश थे जिनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन क्रमशः 18.8, 18.1 और 16.3 मीट्रिक टन रहा। कार्बन उत्सर्जन के मामले में जी 20 में ब्राज़ील, इंडोनेशिया, और भारत नीचे की ओर आते हैं तथा 2010 में इनका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन क्रमशः 2.3, 1.6 और 1.4 मीट्रिक टन रहा जो कि विकसित देशों से काफी कम है। 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2031 में भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन लगभग 4 टन होगा जो कि 2005 के 4.22 टन के वैश्विक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से कम ही है और 2010 के शीर्ष तीन उत्सर्जकों से लगभग 75 प्रतिशत कम है।

12. इन आँकड़ों को देखते हुए आप सहमत होंगे कि इस समय उभरते विश्व पर विकसित देशों के बराबर उत्सर्जन कटौती का दायित्व लादना बहुत ही अनुचित होगा। बल्कि एक तर्कसंगत रास्ता यह होगा कि उत्सर्जन कम करने में वे देश वृहत्तर दायित्व लें जो देश सर्वाधिक विकसित हैं और जिन्होंने अपनी विकास प्रक्रिया में अधिकतर उत्सर्जन किया है तथा उभरते व कम विकसित राष्ट्रों से अपेक्षा का इस प्रकार परिमार्जन किया जाए कि वे उच्चतर विकास दर हासिल कर सकें और गरीब लोगों का जीवन-स्तर सुधर सके। इस प्रकार विकास में समानता आएगी और देशों के बीच एक संतुलन हासिल किया जा सकेगा।

13. जहाँ तक भारत का प्रश्न है, पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक प्रयासों के प्रति यह पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूनएफसीसीसी के तहत चल रहे वैश्विक वार्तालापों में भारत भाग ले रहा है और 94 बहुपक्षीय पर्यावरणीय करारों का हिस्सा रहा है। हाल ही में संपन्न दोहा सम्मेलन (दिसंबर 2012), में भारत ने अपने हितों की पूरी तरह रक्षा की और समानता के मुद्दे को मजबूती से रखने में सफल हुआ। इस बात के लिए भारत स्वेच्छा से तैयार हुआ है कि वह 2020 तक अपने जीडीपी की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तरों की तुलना में 20-25 प्रतिशत कम करेगा[2]। ओजोन क्षरण पर मोंट्रिएल समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले शुरुआती देशों में भारत था और 1 जनवरी 2010 की स्थिति के अनुसार इसने ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों का उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया है[3] जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सीएफसी) जिसे कभी लगभग सभी रेफ्रीजरेटरों और एयरकंडीशनिंग सिस्टमों और अग्निशामकों में प्रयुक्त हैलॉन्स में लगाया जाता था। भारत 2030 तक हाइड्रो सीएफसी के उत्पादन व खपत की पूर्ण चरणबद्ध समाप्ति के पथ पर है। सरकार अपने देश में ऐसे प्रयासों/नीतियों में निरंतर लगी हुई है जिससे पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित हो। इनमें संयुक्त वन प्रबंधन, समन्वित आवास आकलन, तटीय विनियम क्षेत्र, इको लेबलिंग और इनर्जी एफिशिएंसी लेबलिंग, फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स आदि आते हैं।

वैश्विक बर्बादी में कमी

14. टिकाऊ ढंग से कारोबार करने का एक जरूरी अंग है कि बर्बादी में कमी की जाए और इस प्रक्रिया में

[2] कृषि क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को इसके उत्सर्जन तीव्रता आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा।

[3] इनमें अस्थमा एवं क्रॉनिक ऑबस्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के मरीजों लिए मीटर्ड डोज़ इन्हेलर्स की मैन्यूफैक्चरिंग में लगने वाले औषधीय कोटि (फार्मास्यूटिकल ग्रेड) के सीएफसी का इस्तेमाल शामिल नहीं है।

ऑपरेटिंग लागत को कम किया जाए व लाभ को बढ़ाया जाए। आकलनों[4] के मुताबिक दुनिया में पैदा होने वाला 30 से 50 प्रतिशत खाद्य (लगभग 1.2-2 बिलियन टन) कभी भी आदमी के पेट में नहीं पहुँचता। सब-सहारा अफ्रीका और भारत सहित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में बर्बादी जहाँ फसल की कटाई/लुनाई आदि ठीक से न होने, स्थानीय परिवहन के अपर्याप्त होने व भंडारण व्यवस्थाओं के ख़राब होने से आपूर्ति कड़ी के किसान-उत्पादक छोर पर होती है, वहीं विकसित देशों जैसे यूके में प्रायः खुदरा व उपभोक्ता व्यवहार से पैदावार की बर्बादी होती है। सर्वेक्षण यह भी दर्शाते हैं कि भारत में रेफ्रिजरेटर युक्त ट्रांसपोर्ट, खराब सड़कों और खराब मौसम के कारण उगाने वाले और खाने वाले के बीच, कम से कम 40 प्रतिशत फल व सब्जियों की बर्बादी हो जाती है। खाद्य पदार्थ के बर्बाद होने का अर्थ न केवल जीवन को अवलंब देने वाले पोषण की, बल्कि जमीन, पानी व ऊर्जा जैसी मूल्यवान संपदाओं की क्षति भी है। जो फसलें कभी भी उपभोक्ता तक पहुँचती नहीं हैं, उनमें संसार का लगभग 550 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बर्बाद हो चुका होता है। भारत में हमारी जल संपदा का 80 प्रतिशत खेती में लग जाता है परंतु इसकी जल उपयोग क्षमता केवल लगभग 38 प्रतिशत है, जबकि मलेशिया व मोरोक्को में 45 प्रतिशत तथा इजरायल, जापान, चीन व ताइवान में 50-60 प्रतिशत।

15. आकलनों के अनुसार, भारत के 90 प्रतिशत अपशिष्ट/कचरे (वेस्ट) का निपटान खुले में पाटकर (डंपिंग) और गड्ढा भरकर (लैंडफिलिंग) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में देश में 36000 से अधिक उद्योग ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन टन खतरनाक कचरा पैदा करते हैं। इसका लगभग लगभग 50 प्रतिशत रिसाइकल हो सकता है जो किया नहीं जा रहा है। नतीजतन, खतरनाक पदार्थ पर्यावरण में फेंक दिए जाते हैं जिससे प्राणियों को गंभीर खतरा है। आकलन यह भी है कि भारत के शहरी इलाकों में हर साल लगभग 55 लाख म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैदा होता है जो ऊर्जा की कमी वाले इस देश में बिजली पैदा करने का एक मूल्यवान संभावित स्रोत हो सकता है।

[4] 'ग्लोबल फूडःवेस्ट नॉट वांट नॉट' पर यूके की इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकनिकल इंजीनियर्स (आईमेकई) रिपोर्ट

16. इस प्रकार की बर्बादी रोकने के लिए सरकार और विकास संस्थाओं को साथ मिलकर काम करना चाहिए जिससे अपशिष्ट/कचरे (वेस्ट) के बारे में लोगों की राय बदले तथा खाद्य उत्पादकों, सुपरमार्केट, औद्योगिक इकाइयों व उपभोक्ताओं की बर्बादी वाली कार्यपद्धतियों पर लगाम लगे। ऐसी नीतियों को अपनाने व कार्यान्वित करने पर प्रोत्साहन देने पर विचार किया जा सकता है। 2013-14 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है कि सरकारी-निजी सहभागिता (पीपीपी) पद्धति से कचरे-से-बिजली परियोजनाएं शुरू करने के लिए नगरों व कार्यपालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। कचरे-से-बिजली परियोजनाएं लागू करने वाली ऐसी नगरपालिकाओं को विभिन्न माध्यमों से सहायता दी जाएगी जैसे व्यवहार्यता अंतराल (वायाबिलिटी गैप) फंडिंग, चुकौती-योग्य अनुदान (रिपेएबल ग्रांट्स) और कम लागत की पूँजी।

प्राकृतिक संपदाओं का निर्वहनीय उपयोग

17. बर्बादी रोकने के अलावा, स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए, जरूरी है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समझदारी से और पर्यावरण-पोषी तरीके से करें। यह देखते हुए कि विकास की किसी भी प्रक्रिया में ऊर्जा की खपत होगी, ऊर्जा के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासचिव बान की मून ने ठीक ही कहा है कि स्थायी ऊर्जा ही वह स्वर्णिम धागा है जो आर्थिक विकास, सामाजिक समता और एक स्वस्थतर पर्यावरण को जोड़ता है। वैश्विक आर्थिक विकास के साथ अब से 2050 के बीच वैश्विक ऊर्जा की मांग दुगुनी होने की उम्मीद है, बिजली की कीमतों के बढ़ने व अस्थिर रहने का अनुमान है जिससे भारत के लिए इसका आयात महंगा हो जाएगा। बिजली की कमी वाले भारत जैसे देश के लिए अभी यह जरूरी है कि नवीनतर साधनों का संधान करे, विशेषतः जो अधिक पर्यावरण-पोषी तथा देशी हों न कि केवल कोयले व तेल पर निर्भर, जिसमें हम आयात पर ही अधिक निर्भर हैं। इस संदर्भ में प्राकृतिक गैस एक अच्छा विकल्प है और हमारे विशाल भंडार को देखते हुए घरेलू संभावना विशाल है। हमारा प्रयास यह हो कि हम इस पर्यावरण-हितैषी स्रोत की विशाल संभावना का और उपयोग करें। भारत ने 2020 तक 22,000 मेगावाट

सौर ऊर्जा के उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। भारत के कई हिस्सों में अच्छा सौर विकिरण है और जमीनी क्षेत्र के एक प्रतिशत पर भी सोलर पैनल लगाए गए तो इससे ग्रामीण इलाकों को शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के लिए बिजली उपलब्ध होने का बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। बेशक, इस समय यह खर्चीला है; तथापि विनिर्माण की बढ़ती क्षमता, सरकार से अल्पावधि व्यवहार्यता समर्थन, पुरजोर शोध व विकास तथा बड़े पैमाने पर विनियोग से, लागत के नीचे आने की संभावना है।

18. ऊर्जा को घेरे हुए दो बड़ी समस्याएं हैं उपयोग में अक्षमता और चोरी। 2011-12 में संचरण व वितरण नुकसान लगभग 22 प्रतिशत का रहा। उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ, इन संसाधनों के बारे में जागरुकता लाकर उपयोग में सक्षमता लाना भी महत्त्वपूर्ण है। इस संबंध में सही मूल्य-निर्धारण व्यवस्था भी अहम है। बिजली के मूल्य-निर्धारण की एक पूर्ण अविनियमित प्रणाली, जिसमें कीमतें बाजार के अनुसार तय होती हैं, लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने को प्रोत्साहित करेगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या को संभालने में मदद करेगी और अंततः सौर, ज्वारीय (टाइडल) व बायो-गैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्वरूपों को व्यवहार्य बनाएगी।

19. हाल में सरकार ने नवीकृत नहीं किए जा सकने वाले ऊर्जा स्त्रोतों के सही मूल्य-निर्धारण और साफ व हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। यह देखते हुए कि अधिक वित्त लागत के कारण उपभोक्ता नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अधिक कीमत चुकाता है, सरकार ने कोयले पर उपकर लगाकर राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष का गठन किया है जो व्यवहार्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को आगे उधार (ऑन-लेंडिंग) देने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) को फंड देगा। अपरंपरागत पवन ऊर्जा को इस बार के केंद्रीय बजट (2013-14) में विशेष प्रोत्साहन मिला है। भारत ने हाल ही में क्लीन इनर्जी मिनिस्टेरियल (सिईएम) के विद्युत वाहन प्रयास (ईवीआई) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 2020 तक दुनिया भर में 20 मिलियन विद्युत वाहन लाए जाने का लक्ष्य है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में बैटरी-चालित वाहनों का वाणिज्यिक विनिर्माण प्रारंभ हो चुका है।

20. ऊर्जा के अलावा, भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के सामने पानी की चुनौती भी है। विश्व बैंक के अनुसार, वर्तमान दर पर, भारत के 1.2 बिलियन लोग अपने ताज़े पानी की आपूर्तियों को 2050 तक समाप्त कर देंगे। तेजी से विकासमान अर्थव्यवस्था की आवश्कताएं तो बड़ी हैं, पर आपूर्ति बढ़ाने की हमारी क्षमता सीमित होती जा रही है। भौम जल-स्तर घट रहे हैं। नासा के एक हालिया आकलन के मुताबिक 2002 से 2008 के बीच भारत ने 109 क्यू. केएम पानी खोया जिससे भौम जल-स्तर में प्रति वर्ष 0.33 मीटर तक की कमी आई। जल गुणवत्ता के मुद्दे उत्तरोत्तर सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है, पर हमारी अपर्याप्त भंडारण व वितरण सुविधाओं ने पानी को भारत में एक दुर्लभ संसाधन बना दिया है। जलवायु परिवर्तन एक नई चुनौती है जिसका हाइड्रोलॉजिक साइकल पर असर पड़ता है जिससे बाढ़ व सूखे की समस्या उग्र हो सकती है। आकलन बताते हैं कि 2030 तक पानी की लगभग आधी माँग पूरी नहीं की जा सकेगी। इन चुनौतियों को देखते हुए यह जरूरी है कि हम पानी उपयोग में सक्षमता बढ़ाएं। पानी की रिसाइक्लिंग और पुनः-प्रयोग, बाढ़ का बेहतर प्रबंधन और भू-जल प्रबंधन को लेकर किए जाने वाले प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम (मगनरेगा) को जलविभाजन बहाली व भूजल पुनर्संचय कार्यक्रम में रूपांतरित करने की जो बात 12वीं योजना में की गई है, अच्छी प्रतीत होती है। इससे जल संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ रोजगार सृजन के दुहरे उद्देश्य की प्राप्ति होने की संभावना है। साथ ही, पानी व बिजली के उचित मूल्य निर्धारण से जलभृतों को फिर से भरने (रिचार्ज करने) में सहायता मिलेगी।

स्थायी औद्योगिक/व्यवसाय पद्धति

21. चूँकि, उद्योग विकास का उत्प्रेरक है, यह जरूरी है कि अपनी विभिन्न कार्य पद्धतियों में यह स्थायित्व को बढ़ावा दे। स्थायित्व को व्यवसाय में अब एक प्रमुख चुनौती और अवसर के रूप में भी देखा जाता है। स्थायित्व को अपना लक्ष्य बनाकर चलने वाली कंपनियां ही भविष्य में स्पर्धा में आगे रहेंगी। इस वक्त जल्दी कदम उठाने वालों को फायदा मिल सकता है। इसका तात्पर्य है अपने कारोबार के मॉडल के साथ-साथ उत्पादों, तकनीकों और प्रक्रियाओं

(प्रहलाद व अन्य, 2009) पर भी पुनर्विचार। इसे समझते हुए, यूनिलीवर, कोका-कोला और वालमार्ट जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उपभोक्ता वस्तु फोरम के जरिये, वनों की कटाई को अपनी आपूर्ति कड़ियों से हटाने का संकल्प लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कार्बन-न्यूट्रल होने का वादा किया है। स्थायी कारोबार को बाजारों ने भी पुरस्कृत करना शुरू कर दिया है जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा और बढ़ती है[5]। स्थायी कारोबार के लिए तकनीक, संगठन और प्रबंधन (सामान्यतः इन तीनों में साथ-साथ) में नवोन्मेष (इनोवेशन) की आवश्यकता पड़ती है। स्थायित्व के कई लाभ ऐसे हैं जिनके लिए मूलभूत संगठनात्मक बदलाव की अधिक जरूरत होगी और शीर्ष स्तर के प्रबंध तंत्र को इसकी अगुवाई करनी होगी।

22. हरित कंपनियों की कुछ सामान्य विशेषताओं में ये बातें आती हैंः बॉयलर ईंधन के लिए प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल, स्वक्षयी अपशिष्ट (बायोडिग्रेडेबल वेस्ट) की रिसाइकलिंग, प्लास्टिक पदार्थों का कम से कम इस्तेमाल, पुनः प्रयोग करने लायक पैकेजिंग सामग्री का इस्तेमाल, जैव ईंधन (बायोमास) और सौर विकिरण (सोलर रेडिएशन) का नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोतों के रूप में उपयोग, पनबिजली संयंत्रों से बिजली पैदा करना और विषाक्त उत्सर्जनों में कटौती। इसके अलावा कर्मचारियों में जागरूकता लाकर व सक्षम तौर-तरीकों की शुरुआत करके अपने कार्यालय को पर्यावरण-हितैषी बनाने और बिजली के खर्च को कम करने के कई सरल तरीके भी हैं।

23. स्वाभाविकतः ऐसी एक धारणा है और जो कुछ हद तक सही है कि हरित कारोबार की तकनीकों को लागू करने से लागत, जोखिम और सबसे अहम यह कि लाभअर्जकता पर असर पड़ सकता है। तथापि, स्थायित्व के अंदर व्यवहार्यता का तरीका ढूँढने के लिए नवोन्मेषी होना पड़ेगा। वास्तव में, स्थायित्व के तौर-तरीकों से भी कंपनी स्पर्धात्मक रह सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी से उपयोग, बर्बादी में कमी, और ऊर्जा के उपयोग में कमी के तरीके तलाशने से लागत में कमी आती है और लाभअर्जकता बढ़ती है। कुछ संगठन अपने यहाँ के कचरे को रिसाइकल और पुनः उपयोग (रियूज़) करते हैं ताकि मैन्यूफैक्चरिंग में कच्चे मालों की लागत को कम किया जा सके। कुछ कंपनियां अपने कचरे को रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग (रियूज) के लिए स्थायित्व वाले संगठनों को बेचकर आय का एक रास्ता खोल लेती हैं। आपको स्थायी कारोबार का एक उदाहरण देता हूँ- कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड में सीट की सामग्री, 100 प्रतिशत ऊत्तर-औद्योगिक पदार्थों और नवीकरणीय सोया फोम से बनी है। कई कंपनियों ने अपने कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदने का निर्णय लिया है जिसका उपयोग विभिन्न परियोजनाओं में होता है जैसे पुनर्वनरोपण परियोजनाएं और इस प्रकार वे अपने उत्सर्जन की भरपाई करते हैं। आजकल कई कंपनियां है जिनके पास कार्बन क्रेडिट का हिसाब और व्यापार करने की विशेषज्ञता है और यह ट्रेंड बड़ा लोकप्रिय हो रहा है।

स्थायी कृषि पद्धति

24. भारत में, खाद्यान्न उत्पादन व जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, गत दशक में, क्रमशः 1.2 और 1.6 प्रतिशत रही है और खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटने लगी है। उत्पादन के स्तर में ठहराव आ रहा है और हमारी जैसी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कम है। आय के स्तरों के बढ़ने के साथ प्रोटीन पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है जिसमें हम आत्म-निर्भर नहीं हैं। इसके मद्देनज़र कि गरीब अपनी आय का 60 प्रतिशत से अधिक खाद्य पर खर्च करते हैं, कम उत्पादन के चलते कीमतों में होने वाली वृद्धि गरीब को सबसे ज्यादा चोट पहुँचाती है। 2010-11 में (यूएन ईएससीएपी के आकलन) बढ़ी हुई खाद्य कीमतों के कारण भारत में आठ मिलियन लोग आय दरिद्रता (इनकम पॉवर्टी) में रह गए। जून 2012 में आयोजित स्थायी विकास पर रियो+20 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में खाद्य पर सभी के अधिकार की विभिन्न देशों ने पुनर्पुष्टि की।

25. खाद्य की मांग पर जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों के असर को देखते हुए खाद्य आपूर्ति की रफ्तार भी वैसी ही होनी चाहिए। एफएओ के आकलन दर्शाते हैं कि 2050 तक प्रत्याशित 9 बिलियन लोगों का पेट भरने के लिए खाद्य

[5] उदाहरण के लिए आईटीसी लि. विप्रो टेक्नेलॉजीज़, एचसीएल टेक्नेलॉजीज़, इंडसइंड बैंक भारत की 10 शीर्ष हरित कंपनियों में गिनी जाती हैं।

उत्पादन में 60-70 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है। तथापि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के किसी भी प्रयास से इसमें लगने वाले संसाधनों, जैसे जमीन, पानी और ऊर्जा पर दबाव पड़ेगा। खाद्य प्रणाली के कई घटकों में उर्जा की भारी जरूरत पड़ती है जैसे नाइट्रोजन उर्वरक। इसलिए आगामी वर्षों में कृषि के विकास में स्थायी कृषि पद्धतियों पर ज़ोर देना जरूरी है।

26. भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति देश के प्राकृतिक संसाधनों के तकनीकी रूप से मज़बूत, पर्यावरणीय रूप से क्षति नहीं पहुँचाने वाले और सामाजिक रूप से स्वीकार्य उपयोग को बढ़ावा देकर कृषि के स्थायी विकास पर ज़ोर देती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि में उच्चतर निवेश, क्षेत्रीय स्तर पर अपनाई गई किस्मों व संकरों के क्षेत्र में अधिक शोध, पर्यावरण-हितैषी समन्वित कीट-प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग और कृत्रिम उर्वरकों के बदले खाद व मिश्र खाद का रास्ता अपनाना होगा। भारत में कृषि योग्य जमीन को बढ़ाने की सीमित गुंजाइश को देखते हुए, कृषि योग्य जमीन के उपयोग में चीन व जापान की तरह अधिक गत्यात्मक सोच को भी टटोला जा सकता है।

हरित बैंकिंग

27. आप मानेंगे कि उद्योग व कृषि के अलावा, विश्व की आर्थिक व विकास गतिविधियों के वित्तीय एजेंट के रूप में बैंक भी समग्र स्थायी विकास को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही वह संदर्भ है जिसमें हरित बैंकिंग की अवधारणा सामने आई है और इसे स्थायी विकास से जुड़ी चिंताओं पर कुछ करने और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने में एक महत्त्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा जाता है। हरित बैंकिंग के दो पक्ष हैं। पहला, जिस तरह से बैंकिंग बिज़नेस किया जा रहा है - यह कागजरहित (पेपरलेस) है या नहीं। प्रायः एक संदेह होता है कि कागज पर छपे एक मासिक विवरण से ऐसी कौन सी बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी हो सकती है। अमेरिका के संबंध में किए गए एक आकलन के अनुसार, यदि लोग कागजरहित बैंक बिलिंग अपना लें तो इससे प्रतिवर्ष लगभग 16,500,000 पेड़ बचेंगे या 46,000 एकड़ जंगल, तथा प्रतिवर्ष 396,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड, प्रतिवर्ष 495,000 टन वायु प्रदूषण कम होगा और लगभग 2,145, 000 टन ऑक्सीजन प्रतिवर्ष मिलेगा। ई-बैंकिंग पर रिज़र्व बैंक के कई दिशा-निर्देश हैं और कागज-रहित बैंकिंग की दिशा में बैंक भी लगन से कोशिश कर रहे हैं।

28. हरित बैंकिंग का दूसरा आयाम इससे संबंधित है कि बैंक अपना पैसा कहाँ लगाता है। हरित बैंकिंग के अनुसार बैंकों को पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना है और कर्ज देने में उन उद्योगों को प्राथमिकता देनी है जो पहले ही हरित हो चुके हैं या होने का प्रयास कर रहे हैं एवं इस प्रकार प्राकृतिक परिवेश को बहाल करने की कोशिश करते हैं। हरित(ग्रीन) बैंकिंग पर आरबीआई की ओर से कोई विनिर्दिष्ट विनियम/दिशानिर्देश नहीं है। तथापि, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर अपने परिपत्र में रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे स्वयं को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय से अवगत कराएं, जिसकी अवधारणा यह है कि कंपनियां अपने व्यावसायिक कार्यकलापों में व हितधारकों से अपने आदान-प्रदान में स्वेच्छा से सामाजिक व पर्यावरणीय चिंताओं को एक हिस्सा बनाएं। स्थायी विकास के उद्देश्य में सहायता देने के लिए उन्हें अपने बोर्ड के अनुमोदन से एक उपयुक्त व उचित कार्य योजना बनानी है। इस संदर्भ में परिपत्र में प्रोजेक्ट फाइनैंस व कार्बन ट्रेडिंग पर अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम सिद्धांतों पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। पुनश्च बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को कहा गया है कि वे इस संबंध में घटनाक्रमों पर लगातार नज़र रखें और तदनुसार अपनी रणनीतियों/योजनाओं आदि को उसके अनुसार ढालें/संशोधित करें। यद्यपि बैंक के लिए यह सब स्वैच्छिक है, पर इन सबमें रिज़र्व बैंक का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि इस मुद्दे पर बैंकों को जागरूक किया जाए ताकि वे अधिक सार्थक भूमिका निभाएं और इसमें योगदान दें।

29. यहाँ मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा कि पर्यावरणीय व्यवहार्यता वाणिज्यिक व्यवहार्यता से एकदम अलग नहीं है। इसीलिए कुछ बैंकों ने उधार देने के अपने निर्णयों में वाणिज्यिक व्यवहार्यता के साथ पर्यावरणीय व्यवहार्यता पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। कारण यह है कि यदि ऋण लेने वाली किसी कंपनी का कारोबार पर्यावरणीय

कारणों से बैठ जाता है, तो बैंक को क्रेडिट, विधिक, और प्रतिष्ठात्मक जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है जो प्रोजेक्ट की वाणिज्यिक व्यहार्यता के लिए भी बाधक होते हैं। तथापि, विदेशी बैंकों की तुलना में, भारतीय बैंकों को अभी इस दिशा में लंबी दूरी तय करनी है।

सी. सामाजिक स्थायित्व

जरूरत और महत्त्व

30. अब हम स्थायित्व के दूसरे पक्ष अर्थात्, सामाजिक स्थायित्व की ओर चलते हैं। आप सहमत होंगे कि पर्यावरण के नुकसान को रोकने वाला कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सबके लिए शिक्षा व रोजगार न हो और जब तक सामान्य जनता के जीवनस्तर में उन्नति साफ तौर पर न दिखे। जब तक हम जंगल के आस-पास रहने वाले लोगों की दैनिक जरूरत के लिए रोजगार व क्रयशक्ति नहीं दिला पाते तब तक भोजन और जीविका के लिए जंगल की खाक छानने से उन्हें हम रोक नहीं सकते। इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि दोनों पक्षों में कोई अंतर्निहित संघर्ष है। हमें विकास संबंधी आवश्यकताओं और पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों के बीच सही संतुलन साधना होगा ताकि दीर्घावधि विकास में स्थायित्व सुनिश्चित हो।

31. विगत दस वर्षों में, भारत व कई विकासशील देशों ने अच्छी विकास दर व आर्थिक संपन्नता में बढ़ोतरी हासिल करके अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी की बुनियाद रखी है। फिर भी, इनमें से कई देशों में उच्च विकास के फायदे हर नागरिक व समाज-वर्ग में गहराई तक नहीं पहुँचे हैं। आकलन बताते हैं कि विगत 30 वर्षों में अधिकांश ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) देशों में धनी व गरीब के बीच खाई बढ़ी है। सबसे धनी 10 प्रतिशत आबादी की औसत आय निर्धनतम 10 प्रतिशत से लगभग नौ गुना ज्यादा है[6]। ये असमानताएं विकसित देशों में भी आम नागरिकों और राजनैतिक उच्चवर्ग की चिंताओं के बीच तीव्र विलगाव बोध में प्रतिबिंबित होती हैं। समावेशी न हो तो, अपने आप में विकास भी अस्थिरता का कारक हो सकता है। पूरी दुनिया के लिए गरीबी और असमानता का उन्मूलन सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है और स्थायी विकास के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता, जैसा कि यूएन रियो+20 निष्कर्ष दस्तावेज (आउटकम डॉक्यूमेंट) में कहा गया है।

32. भारत की बात करें तो, दसवीं योजना के दौरान भारत औसतन 7.8 प्रतिशत एवं ग्यारहवीं में 7.9 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ा और वैश्विक संकट के बावजूद बढ़ा जो कि सराहनीय है। यद्यपि इसे बेरोजगारी ब गरीबी के स्तरों में कमी से भी जोड़ा गया है, पर अभी भी ये चीजें वहनीय स्तरों से काफी अधिक हैं। जनगणना 2011 के आँकड़ों में दिखाई पड़ रहे साक्षरता व स्वास्थ्य में सुधार के बावजूद कुछ सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजीज़) को भारत अभी भी 2015 तक हासिल करता नहीं दिखाई दे रहा है। विश्व की सबसे द्रुत विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक (2013) में से 187 देशों में भारत का स्थान 136वां है। स्पष्ट है कि देश को कई चुनौतियों का सामना करना है, विशेषतः विकास प्रक्रिया को अधिक समावेशी व सामाजिक रूप से स्थायी बनाने में।

मानव पूँजी व रोजगार में निवेश

33. भारत का जनसांख्यिकी लाभांश देश को अपना विकास बढ़ाने व प्रति व्यक्ति आय को विकसित देशों के आस-पास ले जाने का बड़ा अवसर देता है। भारत की जनसंख्या की औसत आयु 27 वर्ष है जबकि अधिकांश ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं की 40 से अधिक है। भारत के श्रम-भंडार में काफी वृद्धि होगी और औसत आयु बढ़ने के बावजूद भी 2026 तक तुलनात्मक तौर पर 30-34 के युवा-खंड में ही रहेगी। उभरते बाज़ार वाले अन्य समकक्ष देशों की तुलना में भारत के पास जनसंख्या का संभावित लाभ स्पष्टतः है और यदि हम इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो मानव पूँजी में हमें निवेश करने की जरूरत है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2013 ने भारत के बारे में यह भी टिप्पणी की है कि स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी प्रमुख सेवाओं के उपलब्ध कराने से सही नौकरियों का सृजन होगा जिससे बेहतर जीवन-स्तर और समावेशी विकास आएगा जो भारत के लिए प्रासंगिक होगा क्योंकि आगामी वर्षों में वैश्विक श्रम शक्ति के एक बड़े हिस्से का योगदान भारत

[6] संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, वितरण के शीर्ष प्रतिशत की औसत आय लगभग सबसे नीचे के 20 प्रतिशत वालों से लगभग 8 गुना ज़्यादा है।

से प्रत्याशित है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि महिलाओं की शिक्षा पर ज़ोर दिया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे की उत्तरजीविता के लिए घर (हाउसहोल्ड) की आय की तुलना में मां की शिक्षा का महत्त्व अधिक देखा गया है।

34. शिक्षा पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किया गया खर्च मिलाकर जीडीपी का मात्र 3.3 प्रतिशत के लगभग है तथा जीडीपी का और 1.3 प्रतिशत स्वास्थ्य पर। इसकी तुलना में यूरोपीयन यूनियन के देश अपने सामान्य सरकारी खाते से जीडीपी का 5.5 प्रतिशत शिक्षा पर खर्चते हैं और 7.5 प्रतिशत स्वास्थ्य पर। कनाडा अपने जीडीपी का 11 प्रतिशत केवल हेल्थ पर खर्च करता है और शिक्षा पर लगभग 5 प्रतिशत। आगामी पाँच वर्षों में भारत को शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने सरकारी व्यय में काफी वृद्धि करनी होगी। उच्चतर व्यय के अलावा, इस व्यय की गुणवत्ता महत्त्वपूर्ण है। तकनीकी शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान देकर अपनी श्रम-शक्ति को सही कौशल से युक्त करना इस वक्त की जरूरत है। हमारे तकनीकी संस्थानों को उद्योग व बाजार से जुड़ना होगा और वहां से इनपुट्स लेने होंगे।

35. तमाम बाधाओं को देखते हुए, कोई फ़र्क लाने के लिए, शिक्षा पर केवल राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा किया गया खर्च पर्याप्त नहीं होगा। देश में शिक्षा व शिक्षा व्यवस्था की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए निजी क्षेत्र को भी अपना योगदान देना होगा। शिक्षा-प्राप्ति में संसाधन की कमी से जूझ रहे युवाओं की मदद करने में बैंकों की बड़ी अहम भूमिका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा, खास तौर पर उच्चतर शिक्षा का खर्च काफी बढ़ गया है। इसके चलते संभव है कि गरीब किंतु प्रतिभावान व पात्र युवा केवल उपयुक्त फंडिंग के अभाव में अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाएं। वर्ष 2001 में, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने मॉडल एज्यूकेशनल लोन स्कीम (संशोधित) बनायी जो विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को बैंक से ऋण दिलाने का आधार है। अपनी तरफ से भारतीय रिज़र्व बैंक ने शैक्षणिक उद्देश्यों व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए व्यक्तियों को भारत में अध्ययन के लिए रु.10 लाख तक के व विदेश में अध्ययन के लिए रु.20 लाख तक के ऋणों व अग्रिमों को ''प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र'' के अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति बैंकों को दी है। पुनश्च, शैक्षिक संस्थाओं को दिए गए ऋण, यदि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को पूरा करें, तो अत्यंत लघु व छोटे (सेवा) उद्यमों के अंतर्गत ''प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र'' के अग्रिमों के रूप में वर्गीकरण के पात्र होंगे। बैंकों को कहा गया है कि वे रु.4 लाख तक के शैक्षिक ऋणों के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति (कोलैटरल सिक्यूरिटी) न लें।

36. भारत में बैंकों द्वारा दिए गए शिक्षा ऋण के आँकड़े एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, विशेषतः निजी क्षेत्र व विदेशी बैकों के प्रदर्शन के मामले में। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल बकाया शिक्षा ऋण का 96 प्रतिशत जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से आया है, वहीं निजी बैंकों का इस क्षेत्र में प्रतिशत महज 3.46 प्रतिशत (परिशिष्ट 1) है। बकाया शिक्षा ऋण में विदेशी बैंकों का प्रतिशत तो नगण्य ही है। यहाँ उपस्थित निजी बैंकों व विदेशी बैंकों के प्रतिनिधियों से मैं आग्रह करूँगा कि इस विसंगति को दूर करने की कोशिश लगन से करें और मानव पूँजी के विकास में साझीदार बनें जो आगामी वर्षों में आर्थिक विकास को आगे ले जाने वाली प्रमुख शक्ति होगी।

37. यह देखते हुए कि सामाजिक सेवाएं मुख्यतः सरकार की जिम्मेदारी है और इन क्षेत्रों में संयुक्त सरकारी व्यय का 80 प्रतिशत से अधिक राज्यों द्वारा होता है, तो जाहिर है कि इन मामलों में राज्य स्तर पर ही कुछ किया जा सकता है। देखने में आया है कि सामाजिक क्षेत्र में खर्च में पीछे रहने वाले राज्यों ने यह कोशिश नहीं की है कि अपने कुल व्यय का बड़ा हिस्सा मानव पूँजी पर लगाएं और अग्रणी राज्यों की तुलना में उनका प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय काफी कम रहा है जिसका नतीजा यह हुआ है कि 2000 के दशक में राज्यों के मानव विकास सूचकांकों में असमानताएं बनी हुई हैं (आरबीआई, 2013)। मानव पूँजी लक्ष्यों को हासिल करने में सरकारी व निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। कंपनी लॉ में शामिल किया गया कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का खंड सामाजिक क्षेत्र में निजी व्यय में वृद्धि की दिशा में उठाया गया एक कदम है जिसके अनुसार लाभ अर्जित करने वाली कंपनी को ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करना

है। कंपनियों के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि इसे टैक्स की तरह न लेकर एक अच्छी प्रथा की तरह लें।

38. श्रमशक्ति में लगातार हो रही वृद्धि के लिए नौकरियां सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। अगले 15 वर्षों तक मोटे तौर पर लगभग 10 मिलियन लोग प्रत्येक वर्ष नौकरी के बाज़ार में आएंगे। इतनी बड़ी संख्या के लिए उत्पादक नौकरियां ढूँढना एक बड़ी चुनौती है और स्पष्ट है कि इसका हल विकास के रोजगार पक्ष को मजबूत करना है। यद्यपि पिछले कुछ समय से भारत की विकास व रोजगार गाथा में सेवा क्षेत्र ने नायक की भूमिका निभाई है, पर विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) क्षेत्र जब तक और अधिक प्रतियोगी नहीं हो जाता तथा काफी अधिक रोजगारों का सृजन नहीं करता, हो सकता है कि भारत की विकास गति को बनाए रखना संभव न हो। रोजगार सृजन व अपनी श्रम-शक्ति को कुशल बनाने में यह एक बड़ी चुनौती है। सरकार की कोशिश जहाँ अवसरों की समानता को बेहतर करने में होनी चाहिए, वहीं रोजगार सृजन में निजी क्षेत्र को आगे आना है ताकि हम जनसांख्यिकीय लाभांश से फायदा उठा सकें। पुनश्च, रोजगार सृजन के संदर्भ में, बैंकों की एक बड़ी भूमिका है। हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र (एमएसई) रोजगार सृजन व जीडीपी वृद्धि के मुख्य कारक हैं और इसीलिए एक जीवंत एमएसई क्षेत्र तैयार करना नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए। तथापि, जहाँ तक एमएसई सेक्टर को उधार देने का मामला है आँकड़े बुरी स्थिति बयान कर रहे हैं। उधारकर्ता खातों की संख्या में विगत तीन वर्षों से लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में बैंकों को यदि अच्छा योगदान करना है तो उन्हें अपने वित्तीय समावेशन व वित्तीय साक्षरता प्रयासों पर और अधिक ध्यान देना होगा ताकि न केवल वित्तीय सेवाओं की डिमांड पैदा हो, बल्कि इस प्रक्रिया में लाखों की संख्या में सूक्ष्म-उद्यमी (माइक्रो इंटरप्रेनियर्स) भी तैयार हों।

वित्तीय समावेशन

39. वित्तीय समावेशन पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने ध्यान दिया है क्योंकि हम इसे समावेशी विकास हासिल करने और सामाजिक स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक मानते हैं। अपने निजी अनुभव से हम जानते हैं कि आर्थिक अवसर का इस बात से बड़ा संबंध है कि वित्तीय प्रणाली कहाँ तक लोगों की पहुँच में है। यह पहुँच या उपलब्धता विशेषतः गरीबों को शक्तिमान बनाती है क्योंकि इससे उनको अपना बचत भंडार बनाने और सूदखोर साहूकार के जाल में फँसे बिना आय के झटके से खुद को बचाने व आकस्मिकताओं का सामना करने का मौका मिलता है। वित्तीय समावेशन सामाजिक सुरक्षा व अन्य लाभों के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (ईबीटी) का रास्ता बनाएगा जिससे लागत खर्च व रिसाव (लीकेज) में कमी आएगी। देश के उन हिस्सों में जहाँ ईबीटी की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, वहाँ के परिणाम प्रभावित करने वाले हैं तथा भुगतानकर्ताओं व प्राप्तकर्ताओं, दोनों के, अनुभव काफी संतोषजनक रहे हैं। वित्तीय समावेशन से विश्व के सभी लोगों को लाभ है; गरीबों को, बैंकों को व राष्ट्र को और इसीलिए रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेश एजेंडा के प्रति प्रतिबद्ध है।

40. हमारा तरीका त्रिकोणीय है - पहला, टेक्नलॉजी के जरिये सुदूर इलाकों में बैंकिंग की पहुँच बढ़ाना; दूसरा, गरीब वर्गों के लिए नए प्रॉडक्ट्स व सुविधाओं की शुरुआत और तीसरा इसमें सहायक व समर्थनकारी नीतिगत परिवेश सुनिश्चित करना।

41. इस बात के मजबूत शोधजन्य साक्ष्य हैं कि भारत में इस सामाजिक बैंकिंग प्रयोग से ग्रामीण आबादी के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाने व गरीबी कम करने में भी मदद मिली है। संख्याओं के अनुसार औसत जनसंख्या प्रति बैंक शाखा 2001 के 15,583 से बढ़कर 2012 में 12,601 हो गई है। ताज़ा जनगणना के अनुसार, 2001 के 35.5 प्रतिशत की तुलना में 2011 में बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने वाले हाउसहोल्ड्स का प्रतिशत 58.7 है। रिज़र्व बैंक व वित्तीय क्षेत्र द्वारा किए गए इन प्रयासों के बावजूद चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। 1.2 बिलियन लोगों को बैंकिंग कवरेज प्रदान करना और इन खातों में वित्तीय लेन-देन सुनिश्चित करना बहुत बड़ा कार्य है। बैंक-सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंकिंग को व्यवहार्य, व अल्प लागत का कारोबार बनाने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल, बैंकिंग खातों और इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर के बीच सहक्रिया का पूर्ण उपयोग करना

आवश्यक है। छोटे खातों के लिए केवाईसी दस्तावेजीकरण की आवश्यकताओं में हाल के सरलीकरण से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में दूरगामी परिणाम आएंगे।

वित्तीय लोकसंपर्क और साक्षरता

42. वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने में समग्र साक्षरता स्तरों में वृद्धि के साथ-साथ जनता में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना मांग पक्ष के एक महत्त्वपूर्ण इनपुट के रूप में देखा जाता है। हमारे वित्तीय समावेशन प्रयासों के तहत जो नए खाते खुले हैं, उनमें लेन-देन में कमी का एक प्रमुख कारण है वित्तीय जागरूकता व साक्षरता में कमी। गरीब को वित्तीय रूप से साक्षर बनाकर, हम उन्हें इस लायक बना सकते हैं कि अपनी बचतों, उधारों व निवेशों के बारे में वे जानकारी भरा निर्णय लें। गरीबों को बैंकिंग प्रणाली में लाने से समग्र घरेलू व हाउसहोल्ड बचत दरें बढ़ सकती हैं और इस प्रकार उच्चतर व अधिक टिकाऊ विकास हो सकता है।

43. इसे देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अपने वित्तीय लोकसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाने और वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने में मदद की है। इन कार्यक्रमों के तहत, शीर्ष प्रबंध तंत्र देश के गाँवों में जाकर ग्रामीणों से बातचीत करता है, उनकी समस्याएं व प्रत्याशाएं समझता है और साथ ही उनको रिज़र्व बैंक के नीतिगत प्रयासों और औपचारिक बैंकिंग सेक्टर से जुड़ने के फायदों के बारे में बताता है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) स्थापित करने को कहा है। इन केंद्रों का उद्देश्य है सरल संदेशों के रूप में वित्तीय साक्षरता प्रदान करना।

44. सभी विनियामकों एवं अन्य हितधारकों के प्रयासों का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद (एफएसडीसी) के तत्वावधान में वित्तीय समावेशन व वित्तीय साक्षरता पर एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है जिसमें रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा), भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड आदि के प्रतिनिधि हैं। वित्तीय साक्षरता को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए यह ग्रुप एनसीईआरटी, सीबीएसई और राज्य शिक्षा बोर्डों से बातचीत कर रहा है।

डी. निष्कर्ष

45. निष्कर्ष है कि आज विकास की परिभाषा तेजी से बदल रही है। यह नजरिया जोर पकड़ रहा है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं के क्रम को फिर से निर्धारित करना चाहिए और उस एकांगी मॉडल से दूर जाना चाहिए जिसमें अपने विकास के सामाजिक व पर्यावरणीय स्थायित्व पर समुचित ध्यान दिए बिना आर्थिक प्रदर्शन को केवल जीडीपी-वृद्धि के रूप में देखा गया है।

46. केंद्रीय बैंक के नजरिये से पर्यावरणीय मुद्दे सामान्यतः प्राथमिक चिंता का विषय नहीं हैं इस दृष्टि से कि इसका मूल कार्य मूल्य स्थिरता, विकास और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्यों पर ध्यान देते हुए मौद्रिक स्थिरता की रक्षा करना है। यद्यपि पर्यावरणीय मुद्दे केंद्रीय बैंक के उद्देश्यों को प्रत्यक्षतः नहीं प्रभावित करते, परंतु दीर्घावधि में अप्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं (प्रोवोपुलस, 2011)। आईएमएफ के आकलन बताते हैं कि 3 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग पर वैश्विक जीडीपी की औसतन 0-3 प्रतिशत हानि होती है। देश की आर्थिक क्षमता में कमी, कमतर विकास दर और कीमतों के बढ़ने में इसका आर्थिक असर सामने आ सकता है। चूँकि वित्तीय क्षेत्र का प्रदर्शन समष्टि-आर्थिक परिदृश्य से करीब से जुड़ा हुआ है, तो यदि समष्टि आर्थिक परिदृश्य को व इससे जुड़े पक्षों को अधिक जोखिम का सामना करना पड़े तो इस प्रकार वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम का एक्सपोज़र अधिक बढ़ने के कारण और उसके एसेट्स को होने वाले संभावित नुकसान के कारण वित्तीय प्रणाली पर इसका असर बड़ा हो सकता है (निजातावोर्न, 2008)। यह तो है, कि स्थायित्व के मुद्दे पर अधिक प्रयास व पहल की अपेक्षा सरकार व उद्योग से है, पर इस चिंता से हमारा सरोकार जरूर है और अपनी ओर से जहाँ भी कुछ संभव है, हम करते रहेंगे।

47. जहाँ तक जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों का सवाल है, बहुपक्षीय वार्ताओं में देशों के बीच समानता व न्यायोचित भार-वितरण का ध्यान रखा जाए तथा यह विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन स्तर और साथ ही विकासशील विश्व की

भावी विकास संभावनाओं पर आधारित हो। एक ओर जहाँ वैश्विक व्यवस्थाएं आकार ले रही हैं, वहाँ स्थायी विकास के संदर्भ में हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए पहले स्वीकृत उपायों को कार्यान्वित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है।

48. स्थायित्व वाली कार्य पद्धतियां उद्योग जगत को अपनानी चाहिए और इन-हाउस रिसाइक्लिंग व अपशिष्ट/कचरे में कटौती को बढ़ावा देकर औद्योगिक कचरे में कमी लानी चाहिए। इस आंदोलन में सभी हितधारकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। तथापि, मैं जोर देना चाहूँगा कि हरित अर्थव्यवस्था हासिल करने की किसी भी कोशिश की कीमत स्थानीय समुदायों को न चुकानी पड़े। गरीबों व अल्पसुविधा प्राप्त लोगों की रक्षा की जाए और उनको शामिल किया जाए। हरित अर्थव्यवस्था में हाशिये के लोगों को प्राथमिकता देनी होगी और इसे लोकतांत्रिक बनाना होगा।

49. मैं आशा करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से जागरूकता लाने में मदद मिलेगी और इस पर कुछ व्यावहारिक विचार मिलेंगे कि विकास व स्थायित्व (सस्टेनेबिलिटी) के लक्ष्यों को कैसे संतुलित किया जाए और कैसे एक बैंकर के रूप में परियोजनाओं के अपने वित्तीय व जोखिम आकलन में हम इन चिंताओं को शामिल कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि प्रतिष्ठित वक्ता जो इस विषय पर आज यहाँ बोलेंगे और यहां आए प्रबुद्ध श्रोता मिलकर पर्यावरणीय व सामाजिक स्थायित्व के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कारोबार के नए मॉडल खोज निकालेंगे। मेरा मानना है कि इन पद्धतियों को अपनाने को लेकर वरिष्ठ बैंक प्रबंध तंत्र भी उत्साहित होगा। एक बार पुनः मैं आयोजकों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ मुझे बुलाया और इस मुद्दे पर अपने विचारों को साझा करने का मौका दिया।

धन्यवाद।

संदर्भ

एफएओ (2011), ''ग्लोबल फूड लॉस एंड फूड वेस्ट - एक्सटेंट कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन''।

एफएओ एट रियो + 20 (2012), '100 डेज़ टू रियो+20,100 फैक्ट्स मेकिंग द लिंक बिटविन पीपल, फूड एंड द एनवायरनमेंट'।

भारत सरकार (2012), ड्राफ्ट बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) दस्तावेज, खंड I, फास्टर, मोर इनक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, प्लानिंग कमीशन।

----------(2013) आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13, वित्त मंत्रालय ।

----------(2013) केंद्रीय बजट 2013-14, वित्त मंत्रालय

----------(2012) 'इफेक्टिवली इंटिग्रेटिंग इंडस्ट्रीयल ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी' पर कार्य दल की रिपोर्ट, बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)

निजातावोर्न, बैंडिड (2008), 'इज़ क्लाइमेट चेंज ए बिग डील फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम?', बैंक ऑफ थाइलैंड के उप गवर्नर द्वारा 02 अगस्त को बाली में ''मैक्रो इकनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज : अपॉरचुनिटीज़ एंड चैलेंजेज़'' पर दिया गया भाषण

प्रोवोपुलस जॉर्ज ए (2011), 'द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ग्रीस', रिपोर्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स स्टडी कमिटी, की प्रस्तुति पर ग्रीस के गवर्नर द्वारा उद्घाटन भाषण, एथेंस 1 जून

पारीख किरीट (2011), 'इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप ऑन लो कार्बन स्ट्रेटेजीज़ फॉर इनक्लूसिव ग्रोथ', भारत सरकार।

प्रह्लाद सी.के., एम.आर. रंगास्वामी एंड राम निदुमोलू (2009), 'व्हाई सस्टेनेबिलिटी इस नाऊ द की ड्राइवर ऑफ इनोवेशन', हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, सेप्टेंबर।

'इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग फॉर इंडिया' पर प्रधानमंत्री का संबोधन, अप्रैल 5

---------(2013) 4र्थ क्लीन इनर्जी मिनिस्टेरियल, अप्रैल 17

'राज्य वित्त : 2012-13 के बजटों का अध्ययन' पर भारतीय रिज़र्व बैंक (2013) रिपोर्ट।

--------- (2012) वार्षिक रिपोर्ट 2011-12

सैक्स, जेफ्री डी (2012) 'फ्रॉम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स', कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यू यॉर्क।

सुब्बाराव डी (2009), 'वित्तीय समावेशन : चुनौतियां और अवसर' गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकर्स क्लब कोलकाता में 9 दिसंबर को दिया गया भाषण।

यूनाइटेड नेशंस (1987), रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमिशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, 'आवर कॉमन फ्यूचर', यह ब्रंडलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानी जाती है।

---------- ईएससीएपी (2012), रीजनल कोऑपरेशन फॉर इनक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवेलपमेंटः साउथ एंड साउथ-वेस्ट एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012-13, साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया ऑफिस, यूनाइटेड नेशंस ईएससीएपी।

---------- (2013), द राइज़ ऑफ द साउथः ह्यूमन प्रोग्रेस इन एडाइवर्स वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट।

यूएनयू-आईएचडीपी एंड यूएनईपी (2012) 'इनक्लूसिव वेल्थरिपोर्ट 2012', मेज़रिंग प्रोग्रेस टुवार्ड सस्टेनेबिलिटी।

उपाध्याय वी पी, के दत्त शांतनू एंड यू श्रीधरन (2006), एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स वेस्ट्स इन इंडिया, जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, वॉल्यूम 48, अप्रैल।

वर्ल्ड बैंक (2012) वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट 2013, वाशिंगटन।

वेबसाइटें:

पर्यावरण एवं वन मंत्रालयः www.envfor.nic.in

योजना आयोग : www.planningcommission.nic. In

परिशिष्ट 1: बकाया शैक्षिक ऋण

(खातों की संख्या हजारों में और बकाया राशि ₹ मिलियन में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
2003	239	28703	10	1164	2	662
2004	347	41795	11	1919	3	220
2005	470	63978	16	2760	3	205
2006	641	108038	21	3808	3	348
2007	1002	140120	24	3777	नगण्य	13
2008	1298	198442	33	5093	-वही-	10
2009	1580	269127	47	7967	-वही-	1
2010	1912	352921	61	10676	-वही-	1
2011	2213	413438	76	16524	-वही-	नगण्य
2012	2371	467405	110	16750	-वही-	-वही-

परिशिष्ट 2: सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया ऋण

(खातों की संख्या हजारों में राशि ₹ मिलियन में)

वर्ष	बैंक समूह	खातों की संख्या	बकाया शेष
2008	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3967	1511375
	निजी क्षेत्र के बैंक	819	469119
	विदेशी बैंक	65	154893
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक*	4851	2135386
2009	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4115	1914083
	निजी क्षेत्र के बैंक	678	466563
	विदेशी बैंक	58	180634
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4851	2561281
2010	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	7217	2763190
	निजी क्षेत्र के बैंक	1131	648247
	विदेशी बैंक	157	211471
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	8505	3622907
2011	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	7398	3694301
	निजी क्षेत्र के बैंक	1718	881158
	विदेशी बैंक	186	209813
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	9302	4785272
2012	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	7129	3963432
	निजी क्षेत्र के बैंक	2262	1105136
	विदेशी बैंक	525	217600
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	9915	5286168
सितंबर-12	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	6968	3924609
	निजी क्षेत्र के बैंक	2272	1116925
	विदेशी बैंक	358	164347
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	9598	5205881

* एससीबी - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक